



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 श्रावण, 1944 (श०)

संख्या - 339 राँची, सोमवार,

25 जुलाई, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

10 जून, 2022

संचिका संख्या:-8/आरोप-01/2021 का. 3585--झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री आशीष कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची (सम्प्रति-निलम्बित) के विरुद्ध बिना किसी सूचना के अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित रहने तथा मुख्यालय स्थापना एवं पेंशन से सम्बन्धित अति महत्वपूर्ण संचिकाओं को लम्बे समय से लम्बित रखने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2237 दिनांक-13.12.2021 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर श्री कुमार के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है ।

2. उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-152 दिनांक-12.01.2022 द्वारा श्री कुमार से आरोप के सम्बन्ध में बचाव-बयान की माँग की गई तथा विभागीय पत्रांक-2215 दिनांक-07.04.2022 द्वारा इन्हे स्मारित भी किया गया। परन्तु श्री कुमार द्वारा आरोप के सम्बन्ध में कोई बचाव-बयान समर्पित नहीं किया गया।

3. श्री कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप-पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

4. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु मो० आसिफ हसन, उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को एतद् द्वारा संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन में सरकार के तरफ से आरोपों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए श्री आनन्दमय बनर्जी, अवर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

गुलाम सरवर,

सरकार के अवर सचिव।
